

// कारण बताओ नोटिस //

दल सं०-170070505 काँ० (जी०डी०) पेनुगोंडा रवि सुपुत्र श्री पेनुगोंडा सिद्देया, मकान नं०-11-87/24, चगलामारि, पोस्ट ओ०-चगलामारि, पुलिस स्टेशन-चगलामारि, तहसील-चगलामारि, जिला-कर्नूल (आन्धा प्रदेश) 518553 द्वारा दिनांक 12.10.23 (अप्रा०) को बिना किसी सूचना एवं सक्षम अधिकारी की अनुमति के अवकाश से अनुपस्थित चल रहा है। इस कार्यालय के ज्ञापन के संख्या-1156 दिनांक 22.10.23 एवं 1204-07 दिनांक 01.11.23 के तहत बार-बार निर्देशित करने के उपरान्त भी आपके द्वारा अपनी आमद वाहिनी मुख्यालय में नहीं दी गई है। आपके लगातार अनुपस्थित रहने के कारण 59वीं वाहिनी के कार्यालय आदेश संख्या 218 दिनांक-20.01.24 के तहत आपको तिथि 12.10.23 (अप्रा०) से बल से "भगौडा" घोषित किये जाने का आदेश जारी किया गया है।

2. दल सं०-170070505 काँ० (जी०डी०) पेनुगोंडा रवि सुपुत्र श्री पेनुगोंडा सिद्देया, को इस नोटिस के प्रकाशन के माध्यम से अंतिम अवसर प्रदान करते हुए, एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि आप इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर 59वीं वाहिनी, भा०ति०सी०पुलिस, पत्रालय-भालूकपोंग, जिला-सोनितपुर (असम)-784103 में अपनी ड्यूटी पर उपस्थित हों अन्यथा यह समझा जाएगा कि आप इस बल में आगे सेवा करने के इच्छुक नहीं हैं तथा भा०ति०सी०पुलिस बल अधिनियम 1992 एवं भा०ति०सी०पुलिस बल नियमावली 1994 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

सेनानी

59वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पुलिस

COMMANDANT

59वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पुलिस

59TH Bn, I.T.B.P. Force

CC- 19/12/11/ 0161/ 2324